न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्याः–18/2020 (225 आर.टी.एक्ट)
सी.सी.एम.एस .संख्याः–2020/00055

उनवान,

1. प्रहलाद पुत्र भंवरलाल जाति गुर्जर आयु 65 साल निवासी बम्बोरी
2. नैनूराम पुत्र भंवरलाल जाति गुर्जर आयु 62 साल निवासी बम्बोरी तहसील व जिला सवाई माधोपुर राज0।

अपीलान्टस्।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सवाई माधोपुर
2. नगर विकास न्यास सवाई माधोपुर जरिये अध्यक्ष नगर विकास न्यास सवाई माधोपुर ।
3. नगर विकास न्यास सवाई माधोपुर जरिये सचिव नगर विकास न्यास सवाई माधोपुर।

रेस्पोडेन्टस्।

उपस्थितः–

1. श्री श्याम मोहन शर्मा अधिवक्ता अपीलांट ।
2. पैरोकार सरकार उपस्थित।

–::निर्णय::–

दिनांक 29.11.2022

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी उपखण्ड़ सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर में दायर राजस्व वाद संख्या 86/19 बउनवान प्रहलाद बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 17.03.20 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने एक वाद पत्र विरुद्ध अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि अपीलांट की कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं. 139 व व खसरा नं. 14[illegible] बम्बोरी तहसील व जिला सवाईमाधोपुर में स्थित है। उक्त खसरा नम्बरान पर अपीलांट [illegible] का लगभग 50 वर्षो से लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है। [illegible] राजस्व रिकार्ड खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 15:12:18 IST
Reason: SelfAttested

अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

परिवर्तनशील में दर्ज है। अपीलांट–वादी अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है। परन्तु उक्त विवादित आराजीयात अप्रार्थीगण को आवंटित कर दी गई। अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी तहसील सवाई माधोपुर द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 07.03.20 खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांटस् ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपील में सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि मातहत अदालत ने अपने द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य की कोई विवेचना अपने अपीलाधीन निर्णय में नहीं की है, जबकि अपीलांट ने कब्जे काश्त बाबत् खसरा परिवर्तन की संवत् 2071–74 नकल नोटिस 91 एल आर एक्ट खसरा परिवर्तनशील संवत् 2072 संवत् 2045 संवत् 2067 संवत 2065 संवत् 2045 संवत् 2061 संवत् 2040 संवत् 2052 संवत् 2057 प्रस्तुत किया था। उक्त दस्तावेजों से अपीलांट का कब्जा वादग्रस्त आराजी पर बखूबी साबित हो रहा है। प्रथम दृष्टया निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा जो टी. आई. प्रार्थना पत्र मातहत अदालत में प्रस्तुत किया है, उसमें जो रिलीफ चाही है, वह आराजी खसरा नम्बर 139 व 140 दोनो नम्बरो की चाही, परन्तु मातहत अदालत ने मात्र आराजी खसरा नम्बर 140 वाके ग्राम बम्बोरी पर अपना निर्णय पारित किया है। आराजी खसरा नम्बर 139 के बाबत् निर्णय पारित ही नहीं किया गया है। इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्त फरमाया जावें।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। मातहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के कब्जे की खसरा नंबर 139 रकबा 0.23 हैक्टेयर खसरा नंबर 140 रकबा 0.35 हैक्टेयर वाके ग्राम बम्बोरी तहसील सवाई माधोपुर में स्थित है। सेटलमेंट से पूर्व भूमि का गत खसरा नंबर 74 था जिस पर सेटलमेंट से पूर्व प्रार्थीगण उसके पिता का 50 साल से भी अधिक समय से कब्जा काश्त करते आ रहे है, तथा उक्त आराजीयात की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज कराने के प्रार्थीगण अधिकारी है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कई नजीरो में स्पष्ट मत पारित किया गया है कि काबिज व्यक्ति के हितोकी रक्षार्थ टी आई जारी करनी चाहिये और उसके कब्जे को प्रोटेक्ट करना–संरक्षित रखना चाहिये। काबिज व्यक्ति का कब्जा किसी भी रूप में हो जब कब्जे संबंध में यह तथ्य न्यायालय के समक्ष आ चुका था कि उस पर अपीलांट काबिज काश्त है तो टी. आई. के दोनो इन्ग्रीडेन्ट स्वतः ही अपीलांट के पक्ष में साबित होते है। इस तथ्य पर बिना गोर किए उक्त निर्णय मातहत अदालत द्वारा पारित किया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत

अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 15:12:18 IST
Reason: SelfAttested

की आ. ख. न. 139 व 140 रकबा क्रमशः 23 एयर एवं 35 ऐयर जो वाके ग्राम बम्बोरी तहसील व जिला सवाई माधोपुर में स्थित है को अपीलांट को सूचना दिए बिना रेस्पो. के नाम राजस्व रिकार्ड में चुपचाप दर्ज कर दिया है। तथा अपीलांटस

Scanned with CamScanner

अदालत के मुकदमा नंबर 86/19 में पारित निर्णय दिनांक 17.03.20 को अपास्त फरमाया जावें।

6. रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने जवाब बहस में कथन किया कि ग्राम बम्बोरी में खसरा नंबर 139 रकबा 0.2380 तथा ख0नं0 140 रकबा 0.3580 हैक्टेयर का स्वामित्व राजस्व रिकार्ड के मुताबिक नगर विकास न्यास सवाई माधोपुर के नाम दर्ज है। सिवायचक भूमि होने के कारण पीएचडी विभाग को 625 वर्गमीटर जमीन पानी की टंकी बनाने के लिये अनुमति दी गई है। सार्वजनिक हित में उक्त पानी की टंकी निर्माण बाबत् जलदाय विभाग को पानी की टंकी बनाने हेतु एनओसी (अनापत्ति) दी गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाईं जावें।

7. हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया।

8. यह निर्विवाद तथ्य है कि आराजी खसरा नम्बर 139 व 140 नगर विकास न्यास सवाई माधोपुर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न नोटिस अन्तर्गत धरा 91 भू राजस्व अधिनियम के अनुसार अपीलांट/प्रार्थीगण के नाम जारी हैं। अपीलांट ने यह अपील/प्रार्थना पत्र अतिचारी की हैसियत से पेश किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, धारा 212 के अन्तर्गत एक रिकॉर्डेड काश्तकार के ही हितो को संरक्षित किया जा सकता है। अपीलांट की हैसियत एक अतिक्रमी की है। एक अतिक्रमी के हितो को किसी भी प्रकार का संरक्षण विधि के द्वारा प्रदत्त नही किया जा सकता है। विवादित आराजीयात राजकीय भूमि होने के कारण भूमिधारक द्वारा विधिक रूप से किसी को भी आवंटित की जा सकती है।

9. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर का मुकदमा नंबर 86/19 बउनवान प्रहलाद बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 17.03.20 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिले दफ्तर हो, नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 29.11.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

29.11.2022

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 15:12:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner